2005:सीजीएचसी:14-डीबी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका 120/2005

भगवान शंकर जी महाराज और हनुमान महाराज मंदिर

बनाम

आकाश दुबे और अन्य

(कार्यालयीन संदर्भ)

एकल पीठः माननीय श्री संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

बोर्ड पर आदेश

18/09/2017

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. सी.के. ठक्कर, न्यायाधीश ने **कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड बनाम मुदलियाह**[1] मामले में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से बोलते हुए अभिनिर्धारित किया है कि "एक बार सक्षम न्यायालय द्वारा निर्देश जारी कर दिया जाता है, तो उसका बिना किसी शर्त के पालन और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। यदि न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है या उसकी अनदेखी की जाती है, तो कानून के शासन का अंत हो जाएगा ।" कानून का उपर्युक्त कथन वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह लागू होता है।

2. समय पर न्याय, कानून के शासन की आधारशिला है और यह नागरिकों के साथ-साथ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अन्य सदस्यों के लिए भी चिंता का विषय रहा है। यह अब कोई सर्वमान्य बात नहीं रह गई है कि त्वरित न्याय एक संवैधानिक आदेश है, जो इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के मौलिक अधिकार का एक अनिवार्य गुण मानता है। समय पर न्याय मिलना न्याय तक पहुंच का एक अभिन्न अंग है, और समय पर निर्णय न होने से लंबित मामलों का बढ़ना न्याय से इन्कार करने और उसे पटरी से उतारने के समान है। अपमान तब और बढ़ जाता है जब उच्च न्यायालयों द्वारा मामले को निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाने के निर्देश दिए जाने के बावजूद अधिकारी इस पर निर्णय लेना तो दूर, इस निर्देश के प्रति अपनी अनभिज्ञता भी प्रदर्शित करते हैं।

---

1 **(2007) 7 SCC 681**

3. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मामले का शीघ्रता से निर्णय करे और उसका निपटारा करे , विशेषकर तब जब संवैधानिक न्यायालय द्वारा किसी मामले का निर्णय करने के लिए समयबद्ध निर्देश दिया गया हो। ऐसे मामलों में विशेष ध्यान और अलग उपचार की आवश्यकता होती है। बिना कहे , ऐसा ध्यान और उपचार न देने पर , संबंधित पीठासीन न्यायिक अधिकारी की कार्रवाई जानबूझकर की गई अवज्ञा की परिधि में आ जाती है।

4. वर्तमान मामला यह है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27-10-2005 को सिविल वाद क्रमांक 119-ए/2004 का निर्णय विचारण न्यायालय (तृतीय सिविल न्यायाधीश वर्ग-II, रायपुर) को आदेश प्राप्ति की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर करने के निर्देश के बावजूद, वाद का निर्णय दिनांक 4-8-2017 को विलंब से किया गया। जब मामले को निर्देशानुसार समय पर निर्णीत नहीं किया गया और एक न्यायिक अधिकारी श्री ए.डी. तिर्की को छोड़कर किसी ने भी इस न्यायालय द्वारा एम .सी.सी क्रमांक 1245/2013 में दिए गए आदेश का पालन करने के लिए दिनांक 2-2-2017 और दिनांक 19-7-2017 को समय नहीं मांगा, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर से अनुरोध किया गया कि वे उस मामले को देख रहे न्यायिक अधिकारियों के नाम और वर्तमान पदस्थापना स्थान की जानकारी दें और उन लोगों के नाम भी बताएं जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान इस न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया है । अनुरोध के अनुसार, सूची प्रस्तुत की गई और फिर दिनांक 8-8-2017 के आदेश के अनुसार संबंधित न्यायिक अधिकारियों अर्थात् श्री पंकज कुमार जैन , श्री कमलेश जूरी, श्रीमती मधु तिवारी, श्रीमती विभा पांडे, कुमारी स्मिता रत्नावत, श्री डमरूधर चौहान, कुमारी सरोजिनी परमार, श्री सर्व विजय अग्रवाल, श्री शांतनु कुमार देशलहरे और श्री अनंत दीप तिर्की से स्पष्टीकरण मांगा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. स्पष्टीकरण के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि प्रासंगिक समय पर मामले को देख रहे पीठासीन अधिकारियों को इस न्यायालय के ऐसे निर्देश के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी , क्योंकि यह उनके संज्ञान में नहीं लाया गया था। ऐसा लिखते समय वे यह समझना भूल गए कि नोटिस वास्तविक या रचनात्मक दोनों हो सकता है। केवल यह कह देने से कि किसी को कोई वास्तविक नोटिस नहीं मिला, अपने हाथ नहीं धो सकते। रचनात्मक नोटिस का सिद्धांत उसे कटघरे में लाता है। पीठासीन न्यायिक अधिकारी सतर्क और सावधान रहकर तथा उचित परिश्रम करके वर्तमान स्थिति से बच सकते थे । पीठासीन न्यायिक अधिकारियों की ओर से ऐसा कृत्य उनकी कार्रवाई को इस

न्यायालय के आदेश की अवहेलना के दायरे में लाता है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12-6-2017 को आदेश के अनुपालन का पता लगाने के लिए विचारण न्यायालय एवं जिला न्यायाधीश, रायपुर को नोटिस दिए जाने के बावजूद पीठासीन अधिकारियों ने एक के बाद एक अवहेलना जारी रखी। यहां इस न्यायालय (उच्च न्यायालय) के आदेश की जानबूझकर अवहेलना का परिणाम बताने की आवश्यकता नहीं है । हालांकि, उनकी अभिवाक पर विचार करते हुए और चूंकि यह मामला न्यायिक पक्ष में लिया गया है , इसलिए कानून के तहत कोई कार्रवाई करने की बजाय, मैं संबंधित न्यायिक अधिकारियों को भविष्य में सावधानी बरतने तथा ऐसे मामलों को दोबारा न टालने का निर्देश देकर कार्यवाही को बंद करना उचित समझता हूं। तथापि, यह निर्देश दिया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए तथा मामले को निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। यदि निष्कर्ष निकालने में असमर्थता हो तो उचित माध्यम से अनुरोध पत्र काफी पहले भेजा जाना चाहिए , ताकि वह दिए गए समय की समाप्ति से पहले इस न्यायालय की रजिस्ट्री तक पहुंच जाए। प्रत्येक पीठासीन न्यायिक अधिकारी को अपने न्यायालय में ऐसे मामलों की अलग से सूची बनानी चाहिए तथा अपने स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार सौंपते समय ऐसे मामलों की लिखित रूप में तथा पावती सहित सूचना देनी चाहिए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की एक प्रति संबंधित जिला न्यायाधीशों के माध्यम से उपर्युक्त न्यायिक अधिकारियों को सूचनार्थ तथा संज्ञान में लेने के लिए प्रसारित करें।

7. कार्यालय संदर्भ का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

हस्ता/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**